Rule 124: 1[****]

1 Rule 124 omitted by Noti. No. 24/2022–Central Tax, dt. 23-11-2022 w.e.f. 01-12-2022 before it was read as,

"Rule 124 : Appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority

- (1) The Chairman and Members of the Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendations of a Selection Committee to be constituted for the purpose by the Council.
- (2) The Chairman shall be paid a monthly salary of ₹ 2,25,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay:
 - **Provided** that where a retired officer is selected as a Chairman, he shall be paid a monthly salary of $\ge 2,25,000$ reduced by the amount of pension.
- ^A[(3) The Technical Member shall be paid a monthly salary and other allowances and benefits as are admissible to him when holding an equivalent Group 'A' post in the Government of India:
 - **Provided** that where a retired officer is selected as a Technical Member, he shall be paid a monthly salary equal to his last drawn salary reduced by the amount of pension in accordance with the recommendations of the Seventh Pay Commission, as accepted by the Central Government.]
- (4) The Chairman shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:
 - **Provided** that $^{B}[a]$ person shall not be selected as the Chairman, if he has attained the age of sixty-two years.
 - ^c[**Provided further** that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Chairman at any time.]
- (5) The Technical Member of the Authority shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:
 - **Provided** that ^D[a] person shall not be selected as a Technical Member if he has attained the age of sixty-two years.
 - ^E[**Provided further** that the Central Government with the approval of the Chairperson of the Council may terminate the appointment of the Technical Member at any time.]"
 - A Substituted by Noti. No. 34/2017 dt. 15-09-2017, earlier it read as under,
 - "(3) The Technical Member shall be paid a monthly salary of ₹ 2,05,400 (fixed) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay:
 - **Provided** that where a retired officer is selected as a Technical Member, he shall be paid a monthly salary of ₹ 2,05,400 reduced by the amount of pension."
 - **B** Inserted by Noti. No. 14/2018, dt. 23-03-2018.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- C Substituted by Noti. No. 55/2017, dt. 15-11-2017, Earlier it was inserted by Noti. No. 34/2017-Central Tax, dt. 15-09-2017. Earlier it read as under: "Provided further that upon the recommendations of the Council and subject to an opportunity of being heard, the Central Government may terminate the appointment of the Chairman at any time."
- **D** Inserted by Noti. No. 14/2018, dt. 23-03-2018.
- E Substituted by Noti. No. 55/2017, dt. 15-11-2017, earlier it was inserted by Noti. No. 34/2017-Central Tax, dt. 15-09-2017. Earlier it read as under: "Provided further that upon the recommendations of the Council and subject to an opportunity of being heard, the Central Government may terminate the appointment of a Technical Member at any time."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 124 : ¹[.....]

"नियम 124 : प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्ते

- (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद् / बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है, की सिफारिशों पर होगी।
- (2) अध्यक्ष को 2,25,000 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और अन्य भत्ते और फायदे यथाग्राह्य है जैसे कि केन्द्रीय सरकार में पद्धाारण किए अधिकारी को समान वेतन में दिए जा रहे है : परन्तु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रूपये 2,25,000 / का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जायेगा।
- ^[(3) तकनीकी सदस्य को मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्तों और फायदों का संदाय किया जाएगा, जो उसे तब अनुज्ञेय है, जब वह भारत सरकार में समतुल्य समूह 'क' पद धारण कर रहा हो : परन्तुक जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी का तकनीकी सदस्य के रूप में चयन किया जाता है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन को पेंशन की रकम से कम करके समतुल्य मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा।
- (4) अध्यक्ष, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अविध के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा:

^B[परन्तु कोई] व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकी आयु बासठ वर्ष हो चुकी हो।

^C[परन्तु यह और केन्द्रीय सरकार, परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, अध्यक्ष की नियुक्ति
समाप्त कर सकेगी।]

- (5) प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा :
 - P[परंतु कोई] भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है।
 - ^E[परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी भी समय, तकनीकी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी।
 - A अधिसूचना क्रमांक 34/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 15.09.2017) प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था
 - "(3) तकनीकी सदस्य को 2,05,400 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और वह भत्ते निकालने का हकदार होगा जैसा कि भारत सरकार के समूह ''क'' पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राहय है।
 - परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित होता है उसे रू. 2,05,400/— का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा।
 - B अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा अंतः स्थापित।
 - C अधिसूचना क्रमांक 55/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा प्रतिस्थापित। इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 34/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा अंतःस्थापित। पूर्व में यह इस प्रकार था "परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिये जाने की शर्त के अधीन रहे हुये किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी।"
 - D अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा अंतः स्थापित।
 - E अधिसूचना क्रमांक 55/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा प्रतिस्थापित। इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 34/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा अंतःस्थापित। पूर्व में यह इस प्रकार था "परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिये जाने की शर्त के अधीन रहे हुये किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी।"